



उत्तर प्रदेश पी०ए०सी० मुख्यालय, लखनऊ

महानगर, लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337451

फैक्स : 0522-2337453,

सीयूजी : 945440-0136

Email: pac@uppac.net

पत्रांक: पीएसी-दो-जी-58(8)96/31

दिनांक : जनवरी 06, 2020

स्थायी आदेश सं०-01/2020

विषय:- पीएसी मुख्यालय में सुरक्षा हेतु गार्ड नियुक्त करने विषयक स्थायी आदेश।

—:—

पी०ए०सी०, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक: 03.09.1996 को अतिक्रमित करते हुए पीएसी मुख्यालय में सुरक्षा हेतु गार्ड नियुक्त करने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2- पीएसी बल एक गरिमायुक्त संगठित बल है जिसमें 03 जून, 07 अनुभाग, 33 वाहिनियां एवं 228 कम्पनियां संचालित हैं। पीएसी बल का प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के सम्पादन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस संगठित बल को कुशल एवं योग्यतम ढंग से संचालन हेतु मुख्यालय, महानगर, लखनऊ में अवस्थित है, जिसके प्रमुख अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी हैं।

3- मुख्यालय की कार्यशैली की जानकारी का अनुभव समस्त पीएसी बल को होना चाहिये, इस हेतु मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं गरिमा को संदेश वाहक के रूप में समस्त वाहिनियों को पहुंचाने के लिये कर्तव्य हेतु समस्त अनुभागों को रोटेशन के अनुसार अवसर दिया जाना समीचीन होगा। इस परिपेक्ष्य में निम्नांकित आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

- 1- कर्तव्य दल की समयावधि 02 माह की होगी।
- 2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपने-अपने अनुभाग के प्रत्येक इकाई को रोटेशन के अनुसार बारी-बारी अवसर प्रदान करेंगे।
- 3- कर्मचारियों के चयन के समय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं सम्बन्धित इकाई के सेनानायक इस बात का ध्यान रखेंगे कि:-
 - इकाई के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी हो।
 - स्वास्थ्य अच्छा हो, कोई गंभीर बीमारी/अनुशासनहीन/मदिरापान का आदी न हो।
 - सभी लगभग एक समान लम्बाई (174सेमी से ऊपर) के हो।
 - प्लाटून कमाण्डर को गार्ड को कमाण्ड करने की अच्छी जानकारी हो तथा नेतृत्व क्षमता उच्चकोटि का हो।
 - गार्ड कमाण्डर अनुभवी हो तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने-अपने कार्यों की अच्छी जानकारी हो।
 - स्टिक मैन हेतु स्टिक किट उच्चतम स्तर की हो।

कर्तव्य सम्पादन का कम एवं अवधि:-

क सं०	माह	कब से	कब तक	अनुभाग	जोन
1	जनवरी	16.01.2020	15.03.2020	अयोध्या	मध्य
2	मार्च	16.03.2020	15.05.2020	कानपुर	पूर्वी
3	मई	16.05.2020	15.07.2020	मुरादाबाद	पश्चिमी
4	जुलाई	16.07.2020	15.09.2020	लखनऊ	मध्य
5	सितम्बर	16.09.2020	15.11.2020	वाराणसी	पूर्वी
6	नवम्बर	16.11.2020	15.01.2021	मेरठ	पश्चिमी
7	जनवरी	16.01.2021	15.03.2021	आगरा	पश्चिमी

सुरक्षा व्यवस्था बल की बदली तिथि की सूचना 15 दिवस पूर्व पीएसी मुख्यालय द्वारा अवगत करा दिया जायेगा।

निर्धारित जनशक्ति:-

क सं०	कर्मचारी	जनशक्ति	क सं०	कर्मचारी	जनशक्ति
1	प्लाटूनकमाण्डर	01	5	कुक/कहार	03
2	मु०आ०	08	6	धोबी, नाई	01, 01
3	आरक्षी	33	7	सफाई कमी, बिजली मिस्त्री	01, 01
4	आ० बिगुलर	01	8	बढ़ई, प्लम्बर, मोची	01, 01, 01

आवासीय व्यवस्था:-

कर्तव्यरत सुरक्षा गार्ड के कर्मचारी पीएसी मुख्यालय में निर्मित गार्ड रूम में रहेंगे एवं पीएसी मुख्यालय परिसर के बैरक में रहेंगे।

भोजनालय:-

सुरक्षा व्यवस्था में आने वाला बल भोजनालय हेतु पर्याप्त मेस पात्र, सामग्री एवं उपसाधक साथ लाएंगे। भोजनालय का व्यवस्थापन पीएसी मुख्यालय परिसर में बने भोजनालय में रहेगा।

परिवहन:-

भेजे जाने वाले पीएसी बल को अच्छी स्थिति में कम से कम 01 बस तथा 01 ट्रक में भेजे जाएं।

वेश-भूषा:-

पीएसी मुख्यालय की गरिमा के दृष्टिगत कर्तव्य अवधि के दौरान प्रत्येक कर्मचारी सम्बन्धित वाहिनी में प्रचलित रैतिक वेश-भूषा धारण करेंगे यथा साफा, तुरा, चमड़े का बेल्ट, कमरबंद, कालाबूट, सफेद स्पैड, स्कार्फ आदि स्टिक मैन अपने स्वच्छ एवं साफ सुथरा स्टिक किट धारण करेंगे।

मूल्यांकन तथा पुरस्कार:-

पीएसी मुख्यालय में कर्तव्य अवधि के दौरान कर्तव्यरत बल के कर्मचारियों के अनुशासन, टर्नआउट, कार्यक्षमता एवं गार्ड माउंटिंग ड्रिल, स्टैण्ट की कार्यवाही, टैक्टिकल ड्रिल की जानकारी, सलामी गार्ड की कार्यवाही, स्टिक मैन की कार्यवाही के आधार पर सम्बन्धित इकाई/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

(विनोद कुमार सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक,
पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

- 1- पुलिस महानिरीक्षक पी0ए0सी0 पूर्वी जोन प्रयागराज / मध्य जोन लखनऊ / पश्चिमी जोन मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0ए0सी0 वाराणसी / कानपुर / लखनऊ / अयोध्या / मेरठ / मुरादाबाद / आगरा अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने सेक्टर की वाहिनियों से चयनित प्लाटूनों को बारी-बारी समय से भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 3- समस्त सेनानायक, पी0ए0सी0 वाहिनी उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विशेष रूप से चयनित कर्मियों के प्लाटूनों के कर्मियों की वर्दी, उपकरण आदि का स्वयं निरीक्षण कर अपने सेक्टर पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा प्रदत्त आदेश के क्रम में उसको समय से पी0ए0सी0 मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 4- दलनायक नियंत्रण कक्ष / दलनायक मुख्यालय, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।